प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

सं.प्र.मले/ लेप. II/ राजभाषा कार्यान्वयन/वार्षिक कार्यक्रम 2023-24

दिनांक: 17.04.2023

परिपत्र सं / CIRCULAR No. 06

विषय: सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रगामी प्रयोग -वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 Sub: Progressive use of Hindi for Official Purposes-Annual Programme -2023-24

विभाग में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किए जाने हैं। वार्षिक कार्यक्रम का सारांश, सचना एवं कार्यान्वयन के लिए संलग्न किया जाता है।

शाखा अधिकारीगण से निदेश है कि वे व्यक्तिगत ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए दें कि अपने अनुभागों द्वारा इन आदेशों का सही रूप से पालन किया जाता है तथा उसमें उल्लिखित लक्ष्य पाने के लिए हर संभाव प्रयास किया जाता है। समूह अधिकारीगण से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि अपने स्कंध के अनुभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निधारित लक्ष्य उपलब्ध किए जातें हैं।

For the effective implementation of the Official Language Policy in the Department, all possible efforts are to be made to ensure strict compliance of the Official Language Act and Rules made there under and to achieve the targets prescribed in the Annual Programme for the year 2023-24. Gist of the Annual Programme is enclosed for information and implementation.

Branch officers are directed to pay personal attention to ensure that the instructions are strictly adhered to by the sections under their charge and that every possible effort is taken to achieve the targets mentioned there in. Group Officers are requested to ensure that the targets prescribed in the Annual Programme are achieved by sections in their wing.

> प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) Prl. Accountant General (Audit II)

प्रतिलिपि:

- 2. सभी अनुभाग / All sections
- 1. समूह अधिकारीगण/All Group officers 3. शाखा कार्यालय,तृशूर/Br.Office, Thrissur
 - 4. सूचनापट्ट / Notice Board

Annual Programme for 2023-24 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORK	'A' REGION		'B' REG	ION	<u>'C' REGION</u>
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 2. From A to B 3. From A to C	100% 100% 65%	1. From B to A 2. From B to B 3. From B to C55	90% 90% %	1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55%
		4. From Region A to Offices/ Individuals States / UTs of A & B region	100% in	4.From Region B to Offices Individu in States / UTs of A & B region	ials	4. From Region C to 55% Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region
	ers received in Hindi to red in Hindi	o be	10	00%	100%	100%
3.Noti	ng in Hindi		75	5%	50%	30%
4. Training Programme through Hindi Medium 70% 60% 30%						
	ruitment of employee Typing & Stenographe		I,	80%	70%	40% .
	ation in Hindi/ Direct pard (self and by the A			65%	55%	30%
7. Hi	ndi Training (Language	e, Typing/ Stenogra	iphy)	100%	1009	% 100%
8. Pr	eparation of Bilingual	Training Material		100%	100	% 100%
Hindi i.e., Hi amour and Re	penditure for the purc books etc., including o ndi e-books, CD/DVD, nt incurred on Transla egional Languages out ling journals and star	digital material Pen Drive includin tion in Hindi fron of the total Library	/ grant	50%	50	9% 50%
includ	urchase of all electron ing computers having h working facility.		and	100%	10	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	 क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	2 गक्षेत्र से खक्षेत्र को 55% 3 गक्षेत्र से गक्षेत्र को 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%.
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11. वे	बसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
ब	ागरिक चार्टर तथा जन सूचना ोर्ड आदि द्विभाषी रूप में दर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर सि कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)		25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक नि	रीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	ſ	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही ए वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही ए	(5)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंके उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सं कार्य हिंदी में हों।		30%	20%
			(न्यूनतम अनुभाग)	

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

11. Website bilingual	100%	100%	100%		
12. Citizen Charter and display of Public interface information Board bilingual	100%	100%	100%		
13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers (DS/Dir/JS) and officers of OL sections	25% (minimum)	25% (minim	um)	25% (minimum)	
(% of Offices)					
{II} Inspections of sections at Headquarters.	25% (minimum)	25% (mini	mum)	25% (minimum)	
{III} Joint inspections by the officers concerned& those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Central Government.				a year.	
14. Meetings regarding Official Language					
(A) Hindi SalahakarSamiti	02 meetings in a year				
(B) Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting in every six months)				
(C) Official Language Implementation Committee.	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)				
15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Proc	edural literature.	100%	100%	100%	
16 Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/					

(Minimum Sections)

30%

20%

40% in 'A' Region, 25% in 'B' Region and 15% in 'C' Region work may be done in Hindi for those Public Sector Undertakings/Corporations where there is no concept of sections.

40%

Undertakings where entire work to be done in Hindi.